


रा.न.का.स. संवाद

संदेश



श्री हरदीप सिंह पुरी
आवासन और शहरी कार्य मंत्री



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र और ज्ञान के आदान प्रदान, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के माध्यम से अपने प्रचार-प्रसार में प्रभावी नवाचारों के समर्थन के लिए नए अनुसंधान और विशेषज्ञता का विकास किया जाए।



जगन शाह
निदेशक -रा.न.का.सं.

हम सभी जानते हैं कि आजाद भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी भाषा सबको आपस में जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी किसी राज्य विशेष की भाषा न होकर पूरे राष्ट्र की भाषा है। यह हर भाषा को अपने अंदर समाए हुए है। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने और सम्पूर्ण राष्ट्र को एक मजबूत समाज के रूप में उभारने में हिंदी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसका प्रयोग करना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है।

हिंदी दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के प्रति उत्साहवर्धक वातावरण बनाने के लिए हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह का आयोजन किया जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हर वर्ष हमारे मंत्रालय में 01 सितम्बर, से 30 सितम्बर, 2016

तक "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन माह" का आयोजन किया जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आप सभी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। अतः मैं चाहूंगा कि हिंदी दिवस के अवसर पर शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा दोनों मंत्रालयों के समस्त अधीनस्थ/सम्बद्ध/स्वायत्त निकायों में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी निष्ठा और उत्साह से हिंदी में कार्य करें।

आइए, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम संकल्प लिया करें कि हम अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तथा अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे।

हिंदी दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

संवाद टीम

मुख्य सम्पादक : महेन्द्र सेठी
समाचार प्रलेखनाधिकारी : उमेश गड़कोटी
अनुकृति सम्पादक : संगीता विज
अभिन्यासकार : इन्दू सेनन
टंकण : टी. पी. तिवारी
दुर्गा गोपलानी

सूची

संदेश 1
ताजा विषय..... 2
लेख..... 5
कविता संग्रह..... 7
योगदान..... 8

गृहपत्रिका समिति

महेन्द्र सेठी, उमेश गड़कोटी, डी.पी.दूबे, संगीता विज

ताजा विषय

स्मार्ट सिटी बसाने में स्वीडन ने बढ़ाया हाथ

जागरण ब्यूरो,
नई दिल्ली :
भारत के स्मार्ट
शहरों को
विकसित करने
में स्वीडन ने
उत्साह दिखाया



है। स्वीडन की मंत्री एन लिंडे ने गुरुवार को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात कर इस बारे में अपनी इच्छा जाहिर की। दोनों के बीच शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने पर सहमित बनी।

यूरोपीय संघ मामलों और व्यापार मंत्री लिंडे ने कहा कि भारत व स्वीडन ने वर्ष 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी विकास को आगे बढ़ाने के प्रावधान हैं। अब इस क्षेत्र में दोनों देशों को कुछ ठोस कार्य करने की जरूरत है। लिंडे का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी यातायात, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली, वायु स्वच्छता और रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली में स्वीडन दुनिया में सबसे आगे हैं। इन सारी विशेषज्ञता का उपयोग भारत में बनने वाले स्मार्ट सिटी में हो सकता है। उन्होंने बताया कि उनके यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिसका लाभ भारत भी उठा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वीडन की एक बस कंपनी जल्दी ही नागपुर में एथनॉल से चलने वाली 55 बसें चलाएगी।

वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और प्रोजेक्ट की


जरूरत : LG

दिल्ली के एलजी श्री अनिल बैजल ने शनिवार को न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी में इंस्टॉल किए गए फिक्सड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) और ओखला के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और सैनटिरी लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया।

श्री बैजल के साथ साउथ एमसीडी के कमिश्नर डॉ. पुनीत गोयल, सेंट्रल जोन की डीसी मोना श्रीनिवासन के साथ दूसरे अधिकारी मौजूद थे। उप-राज्यपाल को यह जानकारी दी गई कि कूड़े को पहले खुले ढलाव में जमा किया जाता था, लेकिन अब इसे एफसीटीएस में इकट्ठा किया जाता है।

कमिश्नर पुनीत गोयल ने एलजी को बताया कि एफसीटीएस और दूसरी परियोजना के शुरू हो जाने के बाद एरिया के साफ-सफाई में काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि कॉम्पैक्टर स्टेशनों के दायरे में काफी बड़ा इलाका आता है। इससे इन एरिया में ढलावों की संख्या कम होगी। हर रोज 5 से 7 ट्रिप कचरा एफसीटीएस से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाता है, जिसके कारण ढलावों में कूड़े की कमी आई है। उप राज्यपाल ने सेंट्रल जोन में इस तरह के 15 स्टेशन स्थापित किये जाने की प्रशंसा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां जरूरत है, वहां और ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएं। उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और ओखला स्थित लैंडफिल साइट के मैनेजमेंट के लिए हेवी इयूटी बुलडोजर्स और खुदाई मशीन दिल्ली के नागरिकों को समर्पित किए।

चार साल में तैयार होगा 2041 का मास्टर प्लान



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : 2021 के मास्टर प्लान को लेकर भले ही जो स्थिति हो, लेकिन 2041 का मास्टर प्लान अगले चार साल

में तैयार हो जाने की उम्मीद की जा सकती है। इसे तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के बीच एक औपचारिक करार हुआ। इस अवसर पर उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष अनिल बैजल एवं उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह सहित अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित थे।

जानकारी के मुताबिक इस प्लान में दिल्ली को पूर्णतया स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की कोशिश होगी। दिल्लीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से काम किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 प्लान के तहत जिन क्षेत्रों का आंकड़ों सहित विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, उनमें मुख्य रूप से आवास, परिवहन, आर्थिक ढांचा, पर्यावरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संस्कृति, धरोहर, डिजिटल सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन और नवीनीकरण ऊर्जा इत्यादि शामिल रहेंगे।

चर्चा है कि मास्टर प्लान 2041 तैयार करने के लिए एनआईयूए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी सेवाएं

लेगा। चूंकि मास्टर प्लान 2021 तय समय सीमा से लेट ही लागू हो पाया था और इसके जोनल प्लान भी देरी से बने थे। ऐसे में मास्टर प्लान 2041 को समय पर लागू करने के लिए डीडीए अभी से दबाव में है। अगले 20 साल के लिए तैयार होने वाले इस प्लान में हर पांच साल पर निगरानी और समीक्षा का भी प्रावधान रखा गया है।

वायु प्रदूषण से हर साल हो रही 12 लाख मौतें

ग्रीनपीस इंडिया का दावा है कि भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह है।

गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में पीएम दस के स्तर का है। यह 268 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और 168 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है। 268 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के साथ दिल्ली की हवा सबसे अधिक जहरीली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, इलाहाबाद और बरेली इसके काफी करीब है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, हरियाणा का फरीदाबाद, बिहार का रांची, कुसुंदा व बस्ताकोला और राजस्थान के अलवर में वायु प्रदूषण का स्तर 10 पीएम स्केल पर 258 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से 200 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के बीच है।



रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वायु प्रदूषण के मामले में सिर्फ दिल्ली के ही हालात गंभीर नहीं हैं, बल्कि कुल 168 भारतीय शहरों में से एक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के अनुरूप नहीं है। इस संगठन ने आरटीआई समेत कई स्रोतों के हवाले से बताया है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण के चलते 12 लाख लोगों की जान चली जाती है। यह तादाद तंबाकू सेवन से मरने वालों के अनुपात से बस थोड़ी ही कम है। इतना ही नहीं, देश का तीन प्रतिशत जीडीपी जहरीली हवा के धुएं में घुल जाता है। अगर देश का विकास जरूरी है तो सबसे पहले वायु प्रदूषण से लड़ना होगा।

5 मिनट में मिलेगा बिल्डिंग प्लान

रिहायशी कमर्शल और इंस्टिट्यूशनल भवनों के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए अब किसी एमसीडी

दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। साउथ दिल्ली में रहने वाले लोगों को साउथ एमसीडी 5 मिनट में बिल्डिंग प्लान उपलब्ध कराएगा। इससे न केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बचत होगी, बल्कि प्लान अप्रूवल के लिए लोगों को भी बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। साउथ एमसीडी कमिशनर डॉ. पुनीत कुमार गोयल के अनुसार बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के मामले में साउथ एमसीडी ने दुनिया में बेहतर मुकाम हासिल किया है। उनका कहना है कि पहले बिल्डिंग प्लान के लिए 29 प्रोसिजर थे जिन्हें घटाकर 8 कर दिया गया है। इससे टाइमिंग में ही कमी नहीं आई है, बल्कि कंस्ट्रक्शन परमिट में जलबोर्ड का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज था, उसमें भी कमी की गई है। इससे कंस्ट्रक्शन परमिट कॉस्ट इफैक्टिव हो गया है। एमसीडी कमिशनर के अनुसार बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए जो लोग पहले आवेदन करते थे, उन्हें कंस्ट्रक्शन परमिट के साथ ही जलबोर्ड को इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज भी देना होता था। यह चार्ज कंस्ट्रक्शन परमिट में ही शामिल था। लेकिन, अब इसे कम कर दिया गया है। इससे पहले जहां यह चार्ज लोगों को 13.6 लाख रुपये देना पड़ता था, अब उन्हें 1.91 लाख रुपये ही देना पड़ता है। उनका कहना है कि मुंबई की तुलना में दिल्ली में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल काफी बेहतर है। ट्विटर पर करीब 77 प्रतिशत लोगों ने वोटिंग की है, जबकि इस मामले में मुंबई को 23 प्रतिशत ही वोट मिले हैं।

पब्लिक की राय से तय होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट

दिल्ली सरकार 2017 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। सरकार एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें अलग-अलग एरिया में कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, इसके लिए आम लोगों की राय ली जाएगी। लोगों के सुझावों के आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी और अगर नया कानून बनाने या कानून संशोधन की जरूरत होगी तो इसके लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथोरिटी (एसटीए) को अधिकृत किया जाएगा। लोगों की राय के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन से एरिया में ज्यादा ई-रिक्शा होंगी या कहीं पर ज्यादा ग्रामीण सेवाएं चलाए जाने की जरूरत है। बसों की जरूरतों को भी देखा जाएगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव की जरूरतें काफी समय से महसूस की जा रही हैं। देखने में आ रहा है कि किसी इलाके में तो बसें, ई-रिक्शा बहुत कम हैं, तो कहीं बसें खाली चल रही हैं।

‘शेयरिंग कैब पर बैन का प्लान नहीं’ : दिल्ली सरकार कार पूलिंग और टैक्सी शेयरिंग के मामले में भी लोगों की राय के आधार पर दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। लोगों की राय

के आधार पर नए नियम बनाए जा सकते हैं। सरकार की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शैरिंग कैब सर्विसेज पर बैन का कोई प्लान नहीं है। सरकार ने लोगों से कहा है कि अगर बेहतर ट्रांसपोर्ट को लेकर उनके कोई सुझाव हैं तो उन पर जरूर गौर किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई-रिक्शा को भी प्रमोट किया जा रहा है। ई-रिक्शा को सब्सिडी भी दी जा रही है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा चलाई जाएंगी : CM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ई-रिक्शा चलाने वाले पल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं और दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।

सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले वाहन की संख्या भी बढ़ाई जाए। सरकार इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपाय करेगी। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित ई-रिक्शा सब्सिडी आबंटन समारोह में सीएम ने कहा कि दिल्ली में पल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और ई-रिक्शा पल्यूशन नहीं फैलाती और ई-रिक्शा से दिल्ली में रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है।

करीब 60 हजार लोगों को 30-30 हजार रुपये की ई-रिक्शा सब्सिडी दी



गई है और यह सब्सिडी उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। ई-रिक्शा पाने वालों में दो महिला ड्राइवर भी शामिल हैं, जिन्हें समारोह में सब्सिडी के चेक दिए गए।

सीएम ने इन मौके पर कहा कि छह हजार लोगों के अलावा जिन लोगों ने अभी कागजात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जमा नहीं करवाए हैं, वे लोग 22 जुलाई तक बैंक अकाउंट नंबर, लाइसेंस की कापी और कैंसल चेक को जमा करवा सकते हैं और उनकी सब्सिडी भी 31 जुलाई तक उनके अकाउंट में चली जाएगी।

दिसंबर तक दिल्ली हो जाएगी खुले में शौच मुक्त

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इसी साल दिसंबर तक पूर्णतः खुले में शौच (ओडीएफ) मुक्त हो जाएगी, जबकि देश के सभी सातों केंद्र शासित क्षेत्र अगले मार्च तक ओडीएफ हो जाएंगे। केंद्र की ओर से आयोजित नये शहरी निशानों की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी केंद्र शासित राज्यों की ओर इस आशय की प्रतिबद्धता जाहिर की गई।

केंद्रीय शहरी विकास, आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम.वैकैया नायडू ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की राज्य में स्वच्छता व विकास के कार्यों के लिए जमकर प्रशंसा करते हुए उनके आभार व्यक्त किया। बैजल की प्राशसनिक क्षमता और उनके विवेकपूर्ण कार्यों की खुलकर प्रशंसा की। नायडू ने सातों संघ शासित प्रदेशों में स्वच्छता, जल आपूर्ति और सीवर तथा किफायती आवास से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए बनाए गए विभिन्न शहरी मिशनों के अमल में तेजी लाने को कहा।

समीक्षा बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी, पुडुचेरी के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नागर हवेली और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

समीक्षा के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि कार्याकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत दो सालों के भीतर 6.22 लाख घरों में नल से पीने के पानी की सप्लाई शुरू करा दी जाएगी। फिलाहल राजधानी दिल्ली में 23.78 लाख घरों में नल से के कनेक्शन हैं। अमृत के सहयोग से इसे बढ़ाकर 73 फीसद तक पहुंचा दिया जायेगा। इसी मिशन के तहत सीवर कनेक्टिविटी को मौजूदा 57 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद किए जाने की योजना है।

दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस साल अक्टूबर तक और उत्तरी नगर निगम इस साल दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। राज्य में 22,891 में से 11,138 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता है। संघ शासित प्रदेशों के 16 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल तीन एनडीएमसी, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को अब तक ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। समीक्षा के दौरान संबंधित सरकारों ने अगले साल मार्च तक 13 शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

लेख



शहरीकरण और भारत का विकास

जैसा कि सभी को विदित है की जब से भारत आजाद हुआ तब से भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न शील रहा है। क्योंकि इसका एक मूल कारण यह था कि भारत की अधिकतम जनसंख्या गाँवों में रहती थी। जैसा की 1951 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों की जनसंख्या 6.25 करोड़ थी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 29.8 करोड़ थी। क्योंकि जब हम आजाद हुए तब हमारे देश का अधिकांश भाग गाँवों में रहता था यानि गाँवों में 80 प्रतिशत लोग रहते थे और 20 प्रतिशत लोग शहरों में। महात्मा गांधी ने भी एक बार यही कहा था की भारत की आत्मा गाँवों में बसती है इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों पर विकास का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित रहा है। इस प्रक्रिया में हमने यह तथ्य भुला दिया कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अब शहरी नगर क्षेत्रों में भी रहने लगा है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार शहरों की आबादी बढ़कर 23.84 करोड़ हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 74.17 करोड़ हो गई जो की कुल आबादी का 27.8 प्रतिशत शहरों और 72.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रह गई। इस तरह के गाँधी के शब्द आज भी सत्य है की भारत की आत्मा गाँवों में बसती है लेकिन अब बढ़ती हुई शहरी आबादी हमें इस बात का संकेत देती है की शहरी विकास करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती पर यह बताना भी उचित होगा की 1951 में 1827 शहर थे जोकि 2001 में बढ़कर 5161 हो गये। शहरी विकास राज्यों का विषय है लेकिन भारत सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि राज्यों की कोशिश में जो भी कमी रह गई हो उसे अपने योगदान से पूरा कर दिया जाये।

आज अगर हम देखें की भारत में 10 लाख से ऊपर वाली आबादी के शहर जोकि 1951 में 5 थे 1991 में 23, 2001 में 35 और 2011 में 52 हो गये हैं जोकि सारी शहरी जनगणना का 37 प्रतिशत लोग इन 10 लाख से ज्यादा में रहते हैं।

देश के विकास में पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक अर्थ व्यवस्था में लाये गये नये प्रयोगों के कारण भारत की अर्थ व्यवस्था में बढ़ावा होने के साथ-साथ ग्रामीण लोगों का शहरों की तरफ पलायन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। जिससे शहरों में कई तरह की समस्याएँ सामने आ रही हैं। जोकि निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

1. आवास की समस्या
2. मलिन बस्तियों में लगातार बढ़ती
3. यातायात के साधनों की समस्या
4. पीने के पानी की समस्या
5. मलमूत्र के निशकासन की समस्या
6. पानी का प्रदूषित होना
7. वातावरण के प्रदूषण की समस्या
8. स्कूलों की कमी
9. हस्पतालों की कमी
10. बेरोजगारी का बढ़ना आदि समस्याएँ बहुत बढ़ गई हैं।

इन सभी समस्याओं कि वजह से शहरों में भी बेरोजगारी की समस्या, घरों की कमी और विकसित शहर जैसाकि दिल्ली, मुम्बई, कोलकता आदि में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से इन शहरों में कई



तरह के गंभीर खतरे जैसा की लूटपाट, कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण लोगों का शहरों की तरफ आकर्षण इन समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। जिस के कारण शहरों में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही हैं हमें इस बढ़ती हुई समस्याओं को गंभीरता से सोचना होगा नहीं तो यह समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जायेगी और इस शहरीकरण से भविष्य में घातक परिणाम हो सकते हैं।

शहरीकरण से गरीबी, बेरोजगारी और अपराधिक प्रवृत्तियों के बढ़ने की नई समस्याएँ सामने आ रही हैं जिनका समय पर समाधान नहीं ढूँढा गया तो इन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि दुनियाभर में अगर हम चाहते हैं कि भारत का विकास तेजी के साथ हो तो हमें गाँवों के साथ-साथ शहरों के विकास के बारे में भी सोचना होगा।

मैट्रो का दिल्ली में आना, सी.एन.जी. से गाड़ियों का चलना, गरीबों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराना। बिजली पानी की सुविधा में सुधार, जगह-जगह पुलों का निर्माण, सड़कों में सुधार, हवाई अड्डों का नवीनीकरण। हाल ही में लिये गये कुछ उपाय हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शहरीकरण के कारण जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं उसे गंभीरता से ले रही है। अगर इन समस्याओं का सामना सरकार ने यथा समय कर दिया तो भारत जल्द ही एक विकसित देश का सपना पूरा कर लेगा।

संगीता विज

पुस्तकालय में क्रय की गई कुछ प्रमुख पुस्तकों की सूची



1. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. एवं पिल्लै, शिवताणु. मिशन इंडिया. दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 2015.
2. आर्थिक समीक्षा 2015-16: भाग 1 एवं भाग 2. दिल्ली, यंग ग्लोबल पब्लिकेशंस, 2016.
3. चतुर्वेदी, महेंद्रनाथ एवं मल्होत्रा, संजीव. बाहरी हैंडबुक 2016: केंद्रीय सिविल सेवा नियम. दिल्ली, बाहरी ब्रदर्स, 2016.
4. चंद्र, रमेश. देवनागरी लिपि और राजभाषा हिन्दी. नई दिल्ली, कल्याणी शिक्षा परिषद, 2010.
5. चंद्र, रमेश. राजभाषा हिन्दी और तकनीकी अनुवाद. नई दिल्ली, कल्याणी शिक्षा परिषद, 2012.
6. जाधव, नरेंद्र (सम्पादक). डा. अम्बेडकर राजनीति, धर्म और संविधान विचार. दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 2015.
7. दिनकर, रामधारी सिंह. संस्कृति के चार अध्याय. इलाहाबाद, लोक भारती प्रकाशन, 2014.
8. दिनकर, रामधारी सिंह. रश्मि रथी. इलाहाबाद, लोक भारती प्रकाशन, 2015.
9. दोरियाल, के.एस.. प्रशासनिक शब्दावली: हिन्दी-अंग्रेजी, अंग्रेजी-हिन्दी. दिल्ली, हिमाचल बुक्स, 2014.
10. पाण्डेय, पृथ्वीनाथ. शुद्ध हिन्दी: कैसे बोलें कैसे लिखें. नई दिल्ली, भारतीय पुस्तक परिषद, 2014.
11. प्रेम चंद्र. सम्पूर्ण नाटक: संग्राम, कर्बला, प्रेम की वेदी. दिल्ली, प्रखर प्रकाशन, 2015.
12. बेदी, सुषम. हिन्दी भाषा का भूमंडलीकरण. नई दिल्ली, सामयिक बुक्स, 2012.
13. भटनागर, राजेंद्र मोहन. सामयिक हिन्दी निबंध. नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 2010.
14. भटनागर, राजेंद्र मोहन. सामयिक हिन्दी पत्र लेखन. नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 2012.
15. भारत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय. भारत 2016: वार्षिक संदर्भ ग्रंथ. दिल्ली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 2016.
16. भारत, शहरी विकास मंत्रालय. वार्षिक रिपोर्ट 2015-16. नई दिल्ली, शहरी विकास मंत्रालय, 2016.
17. यादव, गिरीश. नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय. नई दिल्ली, प्रशांत बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2014.
18. राय, राम प्रकाश. हिन्दी मुहावरा कोष. नई दिल्ली, प्रशांत बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2014.
19. सिंह, धर्मेन्द्र, दैनिक जीवन में कम्प्यूटर अनुप्रयोग. नई दिल्ली, शिवांक प्रकाशन, 2014.
20. सिंह, राजवीर. हिन्दी कार्यशाला: स्वरूप और प्रविधि. नई दिल्ली, हिन्दी बुक सेंटर, 2015.
21. सिंह, वीरेंद्र, प्रधान मंत्री मोदी के अभियान. नई दिल्ली, मानसी प्रकाशन, 2015.
22. श्रीवास्तव, गोपीनाथ. कार्यालयी अनुवाद निदेशिका. नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 2012.

उमेश चंद्र गडकोटी,
पुस्तकालयाध्यक्ष

कविता संग्रह



बदलती धरती तड़पती धरती

बाहर देखो बहार देखो, हवा में लहराते फूल देखो
मिटटी की सोंधी खुशबू के साथ, ताज़ी हवा में घूम के देखो
कितना अच्छा लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

ये बर्फ से ढके पहाड़, ये झर झर बहते झरने
ये पहाड़ों पे झूलते पेड़, ताज़ी हवा से आती फूलों की खुशबू
कितना सुहाना लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

अपने कर्मों को जान लो तुम, न यूँ अनजान बनो तुम
सड़कों पर फैला कूड़ा, बंद नालियों से आती बदबू
गला घोटती बीमारी फैलाती, नरक बनाती सबका जीवन
कितना घिनोना लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

पहाड़ों से गायब होती वो ताज़गी, न चिड़ियों का चहचहाना, न
कल कल करता पानी, वो कटते पेड़ वो सूखते झरने,
फैक्टरियों की गन्दगी से नालियां बनती नदियां
ये नष्ट होता सारा जीवन
कितना डरावना लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

प्रकृति धन देखो कैसे अदृश्य हो रहा है
हमारी धरती बर्बाद हो रही है
मैं नष्ट हो रही हूँ, नष्ट हो रही हूँ
मेरी सुंदरता प्रदूषण में विलीन हो रही है
ये चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बुला रही है
कितना बुरा लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

गर्मी से पिघलती बर्फ की चादर समुद्र का स्तर बढ़ा रही है
देखो देखो माँ डूब रही है मुझे निकालो मुझे निकालो
सभी को अनाथ करती, धरती माँ पुकार रही है
कितना हृदय को कपकपाता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

आओ आओ सुनो आवाज़ दिल को चीरती माँ की चीत्कार
सभी मिल के भरो हुंकार प्रकृति से है हम सभी का सरोकार
एक बार नहीं, हाथ उठाओ बार बार
कितना सपना सा लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना

चलो इस सपने को साकार करें मिल के दो और दो चार करें
शुरू करो अपने ही घर से तुम
थोड़ा थोड़ा प्रकृति को बचाने में
सभी मिल के योगदान करें
कितना प्यारा सा लगता है ना ये सब
कहना सुनना और महसूस करना



स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत

स्वच्छ भारत का सपना, जन-जन समझे अपना ।
पल-पल प्रतिपल सबको, है स्वच्छता का ध्यान रखना ।
जन भागीदारी का अहसास, सभी में स्वतः जगना ।
सार्थक होगा तभी हमारा, स्वच्छ भारत का सपना ।
घर-घर हर घर जरूरी हो, कूड़ेदान रखना ।
सरकार का दायित्व हो, उचित निपटान करना ।

सार्वजनिक स्थलों पर भी हो, सुलभ शौचालयों का निर्माण ।
नियमों का पालन हो, जैसे दिल्ली मेट्रो है प्रमाण ।
स्वच्छ रहें, स्वच्छ रखें, हर जन में हों अरमान ।
नियम तोड़ने पर हो, भारी दंड का प्रावधान ।
गली-गली शहर-शहर करनी होगी चर्चा ।

नियम उल्लंघन करने पर, पकड़ा दो जुर्माने का पर्चा ।
नित निष्पादन कूड़े का हो, ऐसा कानून निर्माण करें ।
स्थानीय निकायों का दायित्व, इसमें भी निश्चित करें ।
गंद फैलाने वाले नागरिक, जरूरी हो दंड भरें,
स्वच्छता प्रहरी पर भी, उल्लंघन का प्रावधान करें ।

बाजार-बाजार हर बाजार, सुलभ शौचालय बना होगा,
चौबीस घंटे लगातार, कूड़ा निष्पादन भी तय होगा ।
तीन पारियों में सफाई व्यवस्था कायम करनी होगी,
स्वच्छ शहर, स्वच्छ नगर ना कोई बीमारी होगी ।
स्वच्छता की जन-जागृति, गांवों में भी जगानी होगी ।
मातृशक्ति, नौनिहाल, जवान, किसान कभी न बनें रोगी ।

गली सड़क में थूकने पर भारी तिरस्कार करो,
अलख जगाए जो स्वच्छता का, उसे नमस्कार करो ।
नव भारत, स्वच्छ भारत नये नियम बनाए सरकार ।
पहल प्रशासन की हो तो जग जाए हर घर बार ।
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, स्वच्छता पर कार्य कर रहा,
अपने शोध कार्यों में संस्थान, सदैव सर्वोच्च रहा ।
लेख-लेख प्रति लेख संग्रह गड़कोटी हैं कर रहे,
कर्मचारी है गोसाँई, विषयनुसार लेख छांट रहे ।

गांव-गांव शहर-शहर, स्वच्छ बने भारत हमारा,
हर नागरिक को लग जाए भारत, प्राणों से भी प्यारा ।
तन-तन ने मन-मन ने यही अब ठाना है,
स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अब हमें बनाना है ।

पत्रिका हेतु योगदान

संवाद गृहपत्रिका का लक्ष्य शहरीकरण, नगरीय एवं कार्यालय के अन्य विषयों पर जानकारी और कार्मिकों में विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाना है। इस पत्रिका को गौरवपूर्ण बनाने के उद्देश्य से आप सब का सहयोग एवं योगदान अपेक्षित है। सभी कार्मिकों से यह भी अनुरोध है कि पत्रिका के अनुरूप निम्नलिखित विषयों पर अपने लेख एवं विचार इत्यादि निःसंकोच भेजें:

- शहरीकरण, नगर संबंधित विषय
- सरकारी नीतियों, शोध पर जानकारी, संदेश टिप्पणी
- ताजा विषयों (Current Affairs), समाचार क्लिपिंग आदि
- राष्ट्रवाद, देश के समाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय एकता
- कोई प्रेरणा वर्धक या जन-सेहत एवं दार्शनिक
- कार्यालय या सरकारी नियमों संबंधी जानकारी
- सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों के लिए संदेश
- नये कार्मिकों के नाम, पद, फोटो आदि
- नई प्रौद्योगिकी संबंधित कोई जानकारी
- रोजाना जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी
- कोई अन्य कविता, निबन्ध इत्यादि

अगामी अंक हेतु आप अपनी प्रविष्टियां मुख्य संपादक को msethi@niua.org पर भेज सकते हैं ।



राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4बी, प्रथम एवं द्वितीय तल,
भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : 011 - 24617517, 24643284, 24617769
फेक्स: 011-24617513 वेबसाइट: www.niua.org, msethi@niua.org

राजभाषा नियम

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार “केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे”। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली को जून 1997 से भारत के राजपत्र में राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है ।